on page 5 colums 1-3 of the 'Hindustan Times' dated 5th February, 1992 under the caption "Steep hike in prices of drugs" according to which there has been 50 to 250 percent increase in the prices of drugs during the last one year;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) the measures Government propose to take to provide cheap medicines to people ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a) and (b) Sir, Government has seen the news items captioned"Steep hike in prices of drugs" which appeared in the Hindustan Times dated 5-2-1992. It is not correct to say that there has been an increase of 50 % to over 250 % in the prices of drugs during the last one year. However, in a situation of rising cost of inputs particularly of imported nature corresponding increase in the prices of medicines are unavoiable if their availability is to be ensured.

(c) The prices of scheduled formulations are fixed in accordance with the provision of DPCO, 1987 as per a formula and on the basis of fixed norms and after obtaining the recommendations of the BICP which is an expert body of the Government on Industrial Costs and Prices. to the case of formulations outside price ■control, as and when any unreasonable price increase is noticed, Government intervenes to bring it to a reasonable level. This arrangement, by and large, ensure that the price increase allowed are related to actual increase in the input costs.

हरियाणा में निर्मित औषधियों के नाम

3766. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में निर्मित की जाने वाली औषधियों के नाम और उनकी मात्रा क्या है, जिनका निर्माण राज्य के विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और उन दवाईयों के नाम तथा उनकी मात्रा एवं लागत क्या है, जिनका वर्ष 1989, 1990 और 1991 में आयात किया गया; और

(ख) क्या सरकार आवश्यक औषधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक कस्बों में फार्मास्यूटिकल ईकाइयां स्थापित करने का विचार रखती हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम आई० डी०पी०एल० के अलावा हरियाणा में विभिन्न प्रकार की प्रपुंज औषधी/सूत्रयोगों के निर्माण के लिए संगठन क्षेत्र में अनेक औषध यूनिटें हैं। नई यूनिटें स्थापित करने के प्रस्तावों की औषध नीति के पैमानों स्थान संबधी नीति और औद्योगिक नीति के आधार पर अनुशंसा की जाएगी। प्रत्येक राज्य द्वारा दवाइयों के आयात को अलग से मानीटर नहीं किया जा रहा है।

नकली औषधियों के निर्माता

3767. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश में नकली औषधियां के निर्माताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप विगत कुछ महीनों में जहरीली शराब तथा नकली दवाइयों का सेवन करने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और

(ख) यदि हां, तो नकली औषधियों का निर्माण करन वाली फर्मों/इकाइयों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है और न्यायालयों में कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं तथा कितने व्यक्तियों को दण्डित किया जा चुका है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन): (क) और (ख) इसका सबध स्वास्थ्य मंत्रालय से है। अपेक्षित जानकारी, जो भी उपलब्ध होगी